5236 19/16 IV

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

उप कोषागार मुसाफिरखाना
13 APR 2016
जिला – अमेठी

03/05/2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

INDIA NON JUDICIAL

13 APR 2016

CY 285694

मालियत :– रू0 11000/–
स्टाम्प शुल्क – रू0 800/–

न्यास विलेख पत्र (ट्रस्ट डीड)

श्री कृष्णा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट पालपुर, परगना जगदीशपुर, मुसाफिरखाना, अमेठी।

यह कि हम राजमोहन यादव पुत्र श्री मनीराम यादव ग्राम व पोस्ट पालपुर,, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी शैक्षणिक एवं चैरिटेबल कार्य हेतु रू0 11000.00 अंशदान के साथ आज दिनांक 03/05/2016 को वहेसियत्र संथापक ट्रस्टी इंस ट्रस्ट के डीड का निष्पादन किया है। यह कि ट्रस्ट का नाम श्री कृष्णा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट पालपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी होगा जिसे कि इस न्यास पत्र मे आगे ट्रस्ट या फाउण्डेशन शब्द से सम्बोधित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम – श्री कृष्णा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का स्थायी पता – ग्राम व पोस्ट पालपुर, परगना जगदीशपुर, मुसाफिरखाना, अमेठी।
3. कार्यालय पता – ग्राम व पोस्ट पालपुर, परगना जगदीशपुर, मुसाफिरखाना, अमेठी।
4. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत
5. ट्रस्ट/न्यास का वर्ग – शैक्षणिक/चैरिटेबल
6. **ट्रस्ट का उद्देश्य** – ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नवत है :–
   1. समाज के सभी वर्गो के लोगों में देश--प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना जागृत करने का कार्य करना तथा सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक एंव चारित्रिक विकास करना।
   2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एंव अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विद्यालयो/कालेजो की स्थापना करना एंव उनके लिए छात्रावासों का निर्माण करना।
   3. राष्ट्रीय एकता एंव अखण्डता को मद्देनजर रखते हुए युवा वर्ग मे साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु सभाये सेमिनार बैठकें तथा नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करना।
   4. विभिन्न वर्गो के उपेक्षित छात्र–छात्राओं के चौमुखी विकास व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक शिक्षा दिलाने हेतु प्राइवेट/आटोनामस यूनिवर्सिटी, मेडिकल कालेज अस्पताल, डेन्टल कालेज, पैरामेडिकल, कालेज इंजीनियरिंग कालेज, डिग्री कालेज, आई0टी0आई0, पालीटेक्निक, इण्टर कालेज, स्कूल व विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।
   5. कृषि विज्ञान के स्नातकों को प्रशिक्षित कर उन्हें एग्रीबिजनेस केन्द्र खुलवाना जिससे उनको एक उद्यमी के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके।
   6. न्यास के अन्तर्गत बनने (खुलने) वाले शिक्षण संस्थान अपने नियम व कानून बनाने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे लेकिन संचालन न्यास से ही होगा।

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार मुसाफिरखाना
इनल लाक से निर्गत
13 APR 2016
जिला – अमेठी

13 APR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 285695

7. विश्व शान्ति स्थापना हेतु समय–समय पर सभायें, गोष्ठियां राष्ट्रीय कैम्पों का आयोजन करना।
8. पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था करना।
9. प्रतिभावना छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी, भाषा संस्कृति व इतिहास की जानकारी करने हेतु देश–विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना तथा शान्ति के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठावान लोगों को समय–समय पर सम्मानित करना।
10. पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा एंव बौद्व साहित्य के प्रोत्साहन एंव प्रचार–प्रसार के लिए पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन एंव प्रिटिंग प्रेस लगवाना।
11. प्राणी मात्र के कल्याण हेतु निःशुल्क चिकित्सालयों, अनाथालयों, संरक्षण गृह सामुदायिक भवन का निर्माण करना व उनका संचालन करना।
12. बेघर लाचार एंव असहाय महिलाओं को विधि सहायता, न्याय एंव अधिकार दिलाना तथा उन्हें दस्तकार बनाकर सम्मानजनक जीवन यापन लाने हेतु सहायता उपलब्ध करना। महिलाओं के पूर्ण विकास एंव अधिकारों के प्रति जागरूक लाने हेतु महिला संगठनों की स्थापना करना तथा उनके लिए अलग स्कूल/कालेज की स्थापना करना।
13. शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्र–छात्राओं एंव लोगों के सम्पूर्ण विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार निगम, बोर्ड एंव सम्बन्धित विभागों के असहयोग से चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं द्वारा आत्मनिर्भर बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलायी, कताई–बुनाई हस्तशिल्प कला, दरी, कालीन, पेन्टिंग टंकण, कम्प्यूटर ब्यूटीशियन, टी0वी0 व रेडियों रिपेयरिंग आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें स्वालम्बी बनाना।
14. निर्धन एंव कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु केन्द्रीय एंव उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग आदि के वित्तीय सहयोग से ग्रामोंद्योग की स्थापना करना, चालान एवं उसकी बिक्री करना तथा उनसे प्राप्त आय को न्यास के हितार्थ व्यय करना।
15. देश के निर्धन अनाथ, असहाय, बेघर विकलांग, अन्धे, गूगें, बहरे, पिछड़े दलित एंव अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के सर्वागीण विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा छात्रावासों, की स्थापना करना तथा केन्द्रीय एंव राज्य सरकारों से सम्बन्धित विभागों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ, महिला, एंव बाल विकास विभाग, कापार्ट, नाबार्ड बाल कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड आदि के वित्तीय सहायोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रम का चलाकर लाभान्वित करने का प्रयास करना।
16. निर्धन एंव असहाय छात्र–छात्राओं तथा अन्य लोगों को शिक्षा द्वारा प्रशिक्षत करना एंव उनके लिए निःशुल्क दैनिक अभ्यास पुस्तिकाओं एंव पुस्कओं एंव पुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन व वितरण करना। निःशुलक कोचिंग व छात्रावास की व्यवस्था करना। सगाजिक शैक्षिक एंव सांस्कृतिक कार्यक्मों का आयोजन करना एवं उनके शारीरिक विकास हेतु खेल–कूद, व्यायाम आदि का प्रबन्ध करना।

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

नं019 शा0नं018
100/2

2800000
03-05-2016

शिव बरन यादव
स्टाम्प विक्रेता रा0 नं0 177-M-7/98
तहसील मुसाफिर खाना
जिला – अमेठी

यास पत्र

11,000.00	220.00	60	280.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री राज मोहन यादव
पुत्र श्री मनीराम यादव
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी पालपुर परo जगदीशपुर तहo मुoखाना जिo अमेठी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 3/5/2016 समय 3:03PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

घनश्याम
उप निबंधक
मुसाफिरखाना
3/5/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री राज मोहन यादव
पुत्र श्री मनीराम यादव
पेशा अन्य
निवासी पालपुर परo जगदीशपुर तहo मुoखाना
जिo अमेठी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान दिनेश कुमार
रामयश
दिनेश कुमार
पेशा अन्य
निवासी निहालगढ परo जगदीशपुर तहo मुoखाना जिo अमेठी
व हरि शरण सिंह
राम बहादुर सिंह
H Singh
पेशा अन्य
निवासी पालपुर परo जगदीशपुर तहo मुoखाना जिo अमेठी
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

घनश्याम
उप निबंधक
मुसाफिरखाना
3/5/2016

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार मुसाफिरखाना
13 APR 2016
जिला अमेठी

13 APR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CY 285696

17. इलेक्ट्रानिक्स व तकनीकी पाद्यकमों के सैद्वान्तिक, प्रयोगात्मक, ...यात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एंव बच्चों के लिए पूर्ण प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक हिन्दी व अग्रेजी माध्यम से विद्यालयों की सीपना करना एंव संचालन करना।
18. बेरोजगारी दूर करने हेतु युवक–युवतियों को तकनीकी कार्य सिखना एंव लघु कुटीर उद्योगों को चलाने हेतु उचित परामर्श एंव सहयोग प्रदान करना।
19. छात्राओं को वृत्तियां अनुवृत्तियों, पुरस्कार व उपहार प्रदान करना। उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
20. गावों एंव शहरों के युवा वर्ग को बेरोजगार के प्रति प्रेरिति करने हेतु गावों में डेयरी फेडरेशन, प्रशिक्षण केन्द्र एंव उससे सम्बन्धित केन्द्रों की स्थापना करना।
21. पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु समाजिक वानिकी, हरित क्रान्ति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पौधों कह नर्सरी, वृक्षारोपण, भूमि सुधार एंव आदर्श कृषि करना तथा वन विभाग व ग्राम सभा की भूमि प्राप्त कर उस पर वृक्षारोपण कराना व शहरों से इंसीनेजटर लगवाना।
22. देश की एकता, अखण्डता एंव मानीय सद्भावना के कार्यक्रमों का आयेाजन व प्रचार के माध्यम से जन–जन में देश प्रेम की भावना जागृत करके आपस में भाईचारे की भावना जागृत करना।
23. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर संभव सहायता करना।
24. मानव उत्थान एंव कल्याण हेतु विष्व स्वास्थ संगठन, केन्द्रीय स्वास्थ्य विभा, राज्य सरकारों एंव राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थाओ को सहायता देना एंव प्राप्त करना।
25. मानव मात्र के लिए जगह–जगह चिकित्सालयों, दवाखानों अस्पतालों, नर्सिंग होम्स की सीपना करना तथा अनुभवी बेरोजगार डाक्टरों नर्सो, कम्पाउण्डरों इत्यादि को रोजगार दिलाने में सहायता करना।
26. मादक पदार्थो (नारकोटिक्स एंव ड्रग्स) की लत की रोकथाम हेतु निवारण केन्द्र स्थापित करना एंव एड्स जैसी भंयकर बीमारी रोकने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा लोगों को सचेत करने सम्बन्धी उपाय बताना।
27. प्राचीन धार्मिकी स्थलों, पुरावशेष एंव भवनों का जीर्णोद्वारा करना, प्राचीन भारतीय संस्कृति एंव सभ्यता में लगाव रखने वाले परिवारों का उत्थान करना, हस्तशिल्पियों का विकास एंव धार्मिक स्थलों की स्थापना करना तथा उनका संचालन एंव सहायता करना।
28. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ की दृष्टि से ही कार्य करेगा, अपितु जनकल्याण की भावना एंव ट्रस्ट के उद्देश्य को सदैव अपने समक्ष रखेगा।
29. ट्रस्ट अपनी आय एंव लाभ कालानतर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

7. <u>न्यासियों का बोर्ड (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज)</u> :–

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

न०20 / 100/2 शा०प०.18

03-05-2016

शिव बरन यादव
स्टाम्प विक्रेता ला0 नं0 177-M-7/98
तहसील मुसाफिर खाना
जिला – अमेठी

न्यारी

Registration No.: 19 | Year : 2016 | Book No. : 4

0101 राज मोहन यादव

मनीराम यादव

पालपुर पर0 जगदीशपुर तह0 मु0खाना जि0 अमेठी

अन्य

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार-मुसाफिरखाना ... से निर्गत जिला – अमेठी

13 APR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 285692

1. उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये :—

कम	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री राजमोहन यादव सुत मनीराम यादव	ग्राम व पोस्ट पालपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी (उ0प्र0)।	चेयरमैन/मैनेजिंग	समाजसेवी
2	मनीराम यादव सुत रामबली यादव	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष/ट्रेजरार	व्यापारी
3	श्रीमती श्यामलली यादव पत्नी श्री मनीराम यादव	उपरोक्त	संरक्षक/पेट्रन ट्रस्टी	गृहणी
4	श्री मानसी यादव पुत्री मनीराम यादव	उपरोक्त	सदस्य ट्रस्टी	पढाई

8. **ट्रस्ट की सदस्यता के लिए योग्यता :—**

(क) संस्था के प्रति निष्ठावान।
(ख) सच्चरित्र तथा आचरण उत्तम हो।
(ग) दिवालिया न हो।
(घ) संस्था के हित में कार्य करें।
(ड0) संस्था को चन्दा व दान दे।
(च) बालिग हो।
(छ) भारतीय नागरिक हो ।

9. **न्यासियों के बोर्ड के अधिकार एंव कर्तव्य :—**

(क) न्यास के कार्यकलापों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें वेतन भत्तों व अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
(ख) समस्त शक्तियों न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति/संस्थापक न्यासियों में निहित होगी।
(ग) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना।
(घ) आय व्यय की स्वीकृति देना।
(ड0) न्यास के विकास हेतु धन की व्यवस्था करना। न्यास के सदस्यों (न्यासियों) की सदस्यता स्वीकृत व समाप्त करना।
(च) न्यास के नियमों के आवश्यक संसोधन करना।

10. **ट्रस्ट की सदस्यता की समाप्ति :—**

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार मुसाफिरखाना
13 APR 2016
जिला – अमेठी

13 APR 2016

CY 285693

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

निम्नलिखित दशाओं के किसी भी कोटि के सदस्य/पदाधिकारी की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी या समाप्त की जा सकती है –

(क) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
(ख) सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
(ग) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
(घ) किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर।
(ड0) ट्रस्ट के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
(च) ट्रस्ट के नियमों का पालन न करने पर।
(छ) अविश्वास प्रस्ताव पर।
(ज) स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर।
(झ) चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सदस्य की समाप्ति हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत करने पर जो चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी है। इनकी मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने की दशा में केवल इनके विधिक वारिस ही ट्रस्ट के चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी होगें।

11. <u>न्यासियों के बोर्ड (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) के चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी की नियुक्ति :–</u>

राजमोहन न्यासियों के बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत से चयनित न्यासियों के बोर्ड के आजीवन चेयरमैन/मैलेजिंग ट्रस्टी है। इनकी मृत्यु होने अथवा त्याग पत्र देने की दशा में केवल इनके विधिक वारिस ही ट्रस्ट के चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी होगें।

12. <u>न्यास (ट्रस्ट) का प्रबन्धन :–</u>

न्यास के समस्त प्रबन्धकीय कार्य न्यासियों के बोर्ड की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा।

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठके, सूचना अवधि तथा कोरम के सम्बन्ध में प्राविधान निम्नवत है।

अ – चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी – एक
ब– कोषाध्यक्ष/ट्रेजरार ट्रस्टी – एक
स– संरक्षक न्यासी –पैट्रन ट्रस्टी – एक
द– सदस्य – एक

(2) <u>बैठक एंव समचना अवधि :–</u>

न्यासियों के बोर्ड की प्रबन्धकारिणी समिति की समान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी, जिसकी सूचना सभी सदरयों को 15 दिन पूर्व दी जायेगी। सामन्य बैठक की सूचना पंजीकृत डाक से ट्रस्टीगणों के पते (ट्रस्ट में लिखित) पर दी जायेगी। विशेष बैठक 3/4 सदस्यों की मांग पर कभी भी बुलाई जा सकती है। विशेष बैइक की सूचना दस्ती/ई–मेल के द्वारा दी जायेगी।

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार मुसाफिरखाना
13 APR 2016
जिला - अमेठी

13 APR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 285697

सभी प्रकार की बैठकों के लिए चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी की [illegible] आवश्यक होगी, अन्यथा की दशा में कोई भी/कार्यवाही अमान्य समझी जायेगी।

(3) <u>कोरम (गणपूर्ति) :-</u>

3/4 सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक की दशा में उसी एजेण्डा की दूसरी बैठक में गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

13. प्रबन्धकारिणी समिति का कार्य :-

अ – वार्षिक बजट तैयार करना एंव उसे स्वीकृति हेतु न्यासियों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

ब– न्यास (ट्रस्टी) के कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

स– न्यास के संरक्षक न्यासियों, कार्य समिति के सदस्यों, आजीवन सदस्यों, साधारण सदस्यों एंव सलाहाकार सदस्यों की नियुक्ति एंव निष्कासन संम्बन्धी कार्य करना।

द– न्यास के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का सम्पादन करना।

14. **प्रबन्धकारिणी समिति के न्यासियों के कर्तव्य एंव अधिकार :-**

(अ) <u>चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी</u> :- राजमोहन यादव

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता एंव प्रबन्धन व्यवस्था करना।
2. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन, परिवर्तन एंव बैठकों को स्थगित करना।
3. विवाद तथा समान मत होने की दशा में अपना निर्णयक मत देना एंव आवश्यक निर्णय लेना।
4. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक धन अपने पास रखना व व्यय करना।
5. स्रकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों व व्यक्तियों से दान व अनुदान प्राप्त करना तथा न्यास की सम्पत्ति पर नियन्त्रण करखना एंव प्राप्त धन की आवश्यक रसीदें जारी करना।
6. प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण में चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी का मत/निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा। इसे किसी भी न्यायालय, अभिकीरण इत्यादि कही भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
7. बैकों में खाता खोलना, प्राप्त धन को उसमें जमा करना व निकालना तथा उसके व्यय की उचित व्यवस्था करना।
8. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना ताकि उनकी सेवा नियमावली बनाना।
9. न्यास के अधिकारीयों कर्मचारियों के अवकाश, पदोन्नति, वेतनवृद्वि की स्वीकृति प्रदान करना एंव उनके निलम्बन, निष्कासन तथा बहाली आदि का कार्य करना।

(ब) <u>कोषाध्यक्ष/ट्रेजरार ट्रस्टी – मनीराम यादव</u>

1. न्यास की ओर से पत्र व्यवहार करना।
2. बैठकों की कार्यवाही को लिखना व सुनना।

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषाधिकारी मुसाफिरखाना स्थल टाक से निर्गत 13 APR 2016 जिला – अमेठी

13 APR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 285698

3. वार्षिक वजट तैयार करना।
4. राजकीय सहायता, अनुदान, ग्राण्ट, दान प्राप्त करना एंव सम्बन्धित डाक्युमेन्ट्स (अभिलेखों) का निष्पादन व उन पर हस्ताक्षर वजट तैयार करना।
5. आय–व्यय का हिसाब रखना, आवश्यक रसीदें प्राप्त करना।
6. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये दायित्वों का अनुपालन करना।
7. चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके सामान्य दैनिक कार्यों व दायित्वों का निर्वाहन करना। किन्तु उसे कोई भी नीतिगित निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। उसे बैठक बुलाने, सदस्य बनाने तथा चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी के सी भी विशेषाधिकार का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित एंव भुगतान के लिए आदेशित बिलों का भुगतान करना।

(स) संरक्षक न्यासी/पैट्रन ट्रस्टी– श्यामलली यादव

न्यासियों के बोर्ड के चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह 02 संरक्षक न्यासियों को नामित कर सकता है, जिन्हें कि न्यासियों के बोर्ड में सम्मिलित किया जा सकता है। सम्प्रति श्रीमती श्यामलली यादव संरक्षक न्यासी/पैट्रन ट्रस्टी है। ये न्यास की पूर्ति के लिए अधिकारों एंव दिये दायित्वों का निर्वाह करेगे।

(द) सदस्य ट्रस्टी – मानसी यादव

ऐसे सदस्यों की नियुक्ति न्यासियों द्वारा समय–समय पर की जायेगी। सम्प्रति मानसी यादव ट्रस्टी रहेगे। न्यास की पूर्ति के लिए अन्य सदस्यों के साथ चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी के आग्रह पर सलाह देते रहेगें।

15. अदालती कार्यवाही :–

न्यास के पक्ष–विपक्ष के मुकमों की पैरवी करने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष/ट्रजरार ट्रस्टी या चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा अधिृति प्रतिनिधि हो होगी।

16. न्यास (ट्रस्ट) का कोष :–

न्यास का कोष किसी भी कामर्शियल बैंक में न्यास के नाम खेलकर रखा जायेगा। सम्प्रति खाते का संचालन चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा। चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी एकल का भी संचालन कर सकता है।

17. नियमों में संसोधन :–

न्यास के नियमों में संशोधन का अधिकार केवल चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी के पास सुरक्षित रहेगा। यदि ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन की आवश्यकता समझी जाती है तो ऐसे संशोधन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूरक ट्रस्ट डीड देकर पंजीकृत कराया जायेगा।

18. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :–

ट्रस्ट के आय–व्यय को लेखा परीक्षण (आडिट) किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

19. विधिक सलाहकार :–

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 APR 2016

CY 285699

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चेरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा विधिक सलाहकार नियुक्त किया जायेगा, जो विधिक मामलों पर अपना परामर्श देगा।

20. ट्रस्ट के अभिलेख :–

1. कैशबुक
2. सदस्यता रजिस्टर
3. कार्यवाही रजिस्टर
4. कैश एकाउन्ट बुक
5. रसीद बुक
6. ट्रस्ट की फाइलें
7. ट्रस्ट के अन्य कागजात

21. ट्रस्ट के धन का विनियोग :–

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर अधिनियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. दानी सज्जनों द्वारा दिय गया धन अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय व राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त सभी प्रकार के अनुदान उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समर्पित रहेगा। ट्रस्ट किसी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति खरीद सकेगा। यदि किसी कारणवश कोई अचल सम्पत्ति को विक्रय करना भी पेड़, तो विशेष आवश्यकता बताते हुए बैठक में यह प्रस्ताव पास करना होगा। इसमें चेयर मैन/मैनेजिंग ट्रस्टी की सहमति अनिवार्य होगी।
3. दान में चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना तथा ट्रस्ट के कार्य हेतु सम्पत्ति का हस्तान्तरण एवं कय–विकय करना।
4. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/बैंक/वित्तीय संस्थान से दान, चंदा अथवा ऋण प्राप्त कर सकता है।
5. ट्रस्ट की सम्पत्ति का कोई भी न्यासी अपने निजी उपयोग के लिए प्रयोग नहीं करेगा।

इस प्रकार मै राजमोहन यादव सुत मनीराम यादव रू0/– 11000.00 पर देय स्टाम्प ड्यूटी के साथ आज दिनांक 03/05/2016 को साक्षीगणों के उपस्थिति में ट्रस्ट विलेख को पढ लिख एवं समझ कर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के श्री कृष्णा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (ट्रस्ट) को निबन्धित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

राजमोहन यादव
संस्थापक ट्रस्टी

मसविदाकर्ता
पंचम यादव

(1) साक्षीगण

(2) साक्षीगण

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

न० 25 श्रा० नं० 18
1002/2

03-05-2016
शिव बरन यादव
स्टाम्प विक्रेता लाइ नं0 177-M-7/96
तहसील मुसाफिर खाना
जिला – अमेठी

आज दिनांक **03/05/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **12**

पृष्ठ सं. **393** से **410** पर कमांक **19**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

घनश्याम
उप निबंधक
मुसाफिरखाना
3/5/2016

PRINCIPAL
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)

Managing Director
Shyam International School
Mangauli, Jagdishpur-Amethi (U.P.)